



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आपराधिक धमकी देने व अपहरण करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 9,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०-72/2017 धारा-363,366,504,506,323 भा०द०सं० व 06 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्याया० विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विजय पुत्र टुट्टी राजपूत नि० परावारी थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 9,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
ए०डी०जी०सी०
अवधनरेश चन्देल



विवेचक-
सी०ओ०
विवेकानन्द तिवारी



पैरोकार-
थाना मझगवां
का० सर्वज्ञ सिंह